

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 390/84-85 19

यह प्रमाणित किया जाता है कि जनता रिश्ता समिति,
जयपुर जिला जयपुर
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रोकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
नं. 28, 1953) के अन्तर्गत रजिस्ट्रोकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक बी.ई.स. माह अक्टूबर सन् एक हजार नौ सौ बी.ई.स. को
जयपुर में दिया गया ।



एम.डी. सिंह
रजिस्ट्रार संस्थायें, राजस्थान,
जयपुर ।